



जन आधार



राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग



जन आधार

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

क्रमांक : एफ17(8)4 / डीईएस / रा.ज.आ.यो. / परिपत्र / 2019 / 1043

दिनांक : 04.06.2026
यथा हस्ताक्षर

परिपत्र-11

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 एवं राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2021 के अधीन राज्य के निवासियों को जन-कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्रदायगी हेतु राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा राजस्थान जन आधार योजना का संचालन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत राज्य के निवासियों का जन आधार नामांकन कर 10 अंकीय जन आधार परिवार पहचान संख्या प्रदान की जा रही है। प्राधिकरण द्वारा जन आधार आई.डी. धारक की सूचनाओं में संशोधन प्रथम एवं द्वितीय सत्यापन उपरांत जन आधार डेटा रिपोजिटरी (JRDR) में दर्ज किया जा रहा है।

वर्तमान में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ आमजन तक त्वरित गति से पहुँचाने के उद्देश्य से राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा नवजात शिशु के जन्म उपरांत स्वतः (Auto) जन आधार नामांकन एवं मृत्यु के कारण किसी सदस्य का जन आधार से नाम स्वतः हटाने के प्रावधान निम्नलिखित प्रक्रियानुसार किये जाते हैं -

1. नवजात शिशु के जन्म उपरांत स्वतः (Auto) जन आधार नामांकन -

नवजात शिशु के जन्म उपरांत पहचान पोर्टल द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी होने एवं पहचान पोर्टल से डेटा प्राप्त होने के उपरांत शिशु की माता के जन आधार कार्ड में शिशु को नाम/बिना नाम एवं बिना फोटो के सदस्य के रूप में स्वतः (Auto) जुड़ने का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया से स्वतः जन आधार नामांकन केवल उन शिशुओं का किया जायेगा जिनका जन्म प्रमाण पत्र राजस्थान के पहचान पोर्टल से जारी हुआ है। इसके लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होना आवश्यक हैं-

1. पहचान पोर्टल से शिशु का जन्म प्रमाण पत्र बनवाते समय जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन फॉर्म में शिशु की माता की आधार संख्या, जन आधार परिवार पहचान संख्या एवं जन आधार सदस्य पहचान संख्या (Member Id) दर्ज करना आवश्यक है।
2. जन आधार में माता की आधार ई-केवाईसी आवश्यक रूप से होनी चाहिए।
3. ऐसे शिशु, जिनका नाम जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज नहीं होता, उन शिशुओं का जन आधार नामांकन उनकी माता के जन आधार परिवार में वास्तविक नाम उपलब्ध होने तक बेबी ऑफ माता (Baby of Mother Name) के नाम से स्वतः ही जोड़ा जायेगा।

शिशु का फोटो जन आधार में एडिटिंग प्रोफाइल (Profile Editing) मोड्यूल द्वारा अपडेट किया जा सकता है। इसी प्रकार शिशु का नाम जन्म प्रमाण पत्र में अद्यतन कराने पर पहचान पोर्टल से डेटा प्राप्त होने के उपरांत जन आधार में नाम स्वतः ही अद्यतित हो जायेगा।



जन आधार



जन आधार

2. मृतक सदस्य को जन आधार से स्वतः हटाना -

किसी जन आधार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु उपरांत पहचान पोर्टल द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने एवं पहचान पोर्टल से डेटा प्राप्त होने के उपरांत मृतक सदस्य का नाम उनके जन आधार परिवार से स्वतः हटाने के प्रावधान किये गये हैं। इस हेतु मृतक सदस्य का पहचान पोर्टल से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते समय आवेदन फॉर्म में मृतक की आधार संख्या, जन आधार परिवार पहचान संख्या एवं जन आधार सदस्य संख्या (Member Id) दर्ज करना आवश्यक है।

नोट:- उक्त प्रक्रियाओं के अतिरिक्त जन आधार नामांकन एवं इसमें किसी नये सदस्य को जोड़ने एवं हटाने की प्रक्रिया पूर्वतः रहेगी।

(डॉ. रवि कुमार सुरपुर)

शासन सचिव, आयोजना एवं
महानिदेशक, राज.आ.प्रा.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान एवं अध्यक्ष, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग एवं महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग एवं पदेन अति. महानिदेशक (तकनीकी), राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
5. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर।
6. जिला कलक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी, समस्त जिले, राजस्थान।
7. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा अति. महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, जयपुर।
9. तकनीकी निदेशक, जन आधार, राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लि., जयपुर।
10. संयुक्त/उप निदेशक, जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी कार्यालय, समस्त राजस्थान।
11. एस.ए./एसीपी (उप निदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, समस्त जिला मुख्यालय।
12. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशोषी अधिकारी, समस्त नगरीय निकाय, राजस्थान।
13. उपखण्ड अधिकारी/ब्लॉक विकास अधिकारी, समस्त, राजस्थान।
14. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी/प्रोग्रामर, समस्त पंचायत समिति, राजस्थान।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन सचिव, आयोजना एवं
महानिदेशक, राज.आ.प्रा.